RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper

वर्तमान बदलते समाज में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति : सामान्य अवलोकन

डॉ बलवीर सेन

सह–आचार्य (समाजशास्त्र), राजकीय महाविद्यालय, मेड़ता सिटी, नागौर (राज0)

Abstract:
मुस्लिम स्त्रियों की सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी कम होने के पीछे सबसे बड़ी निर्योग्यतायें अज्ञानता अशिक्षा पर्दा प्रथा और अंधविश्वास हैं। ये निर्योग्यतायें इतनी जटिल हैं कि मुस्लिम स्त्रियों के समस्त राजनैतिक अधिकार इसके कारण महत्वहीन हो गये हैं। वास्तव में पर्दा प्रथा के कारण राजनैतिक क्षेत्र से बहिष्कार होता जा रहा है। यद्यपि आज के इस परिवर्तित युग में अब मुस्लिम कामकाजी और घरेलू महिलायें खुलकर राजनीति में भाग ले रही हैं। फिर भी उतनी उपस्थिति नहीं है जितनी होनी चाहिये। शाहबानों प्रकरण के पश्चात् शासन द्वारा जारी किये गये अधिनियम के विरोध में जिस प्रकार वे सड़कों पर उतर आई थीं उससे यह पता चलता है कि इनमें राजनैतिक महत्वाकांक्षायें पराकाष्ठा पर हैं और किसी सुयोग्य सुपात्र तथा संघर्षशील नेतृत्व मिलने पर यह प्रकट हो सकती है। इसी दृष्टि से उनकी राजनीतिक स्थिति का अवलोकन करना उचित तथा अपेक्षित है।

Keywords: *मुस्लिम, समाज, महिला, भारत।*

शोध विस्तार– मुस्लिम शरियत अधिनियम 1937 तथा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के लागू होने से मुस्लिम महिला की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ। मुस्लिम शरियत अधिनियम 1 अक्टूबर 1937 को लागू किया गया था। इस अधिनियम में मुस्लिम विवाह, विवाह विच्छेद, मेहर के नियम, संरक्षता, दान, बक्फ, सम्पत्ति, उत्तराधिकार आदि से सम्बन्धित उप अधिनियमों का उल्लेख किया गया है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में पारित हुआ। इसके पूर्व केवल पति को विच्छेद का अधिकार प्राप्त था। इस अधिनियम से मुस्लिम महिलाओं को तलाक से पूरे अधिकार मिल गए।

इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोण से भी मुसलमान महिला को परिवार की सम्पत्ति में से वर्तमान में काफी महत्वपूर्ण अधिकार मिले हुए हैं। उनके सम्पत्ति के अधिकार पुरुषों के समान पूर्ण है वे अपनी सम्पत्ति का पूर्ण रूप से उपभोग कर सकती हैं। सामान्य रूप से उन्हें अपने समान स्तर पर पुरुष से आधा उत्तराधिकार मिलता है। उत्तराधिकार की यह कमी दो बातों से पूरी हो जाती है (अ) एक पत्नी अपने पति से मेहर लेने का अधिकार रखती है और (ब) उसे पति से भरन–पोषण पाने का अधिकार है। माँ पत्नी और लड़की को हमेशा उत्तराधिकार मिलता है। विवाह के बाद एक महिला के अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार समाप्त नहीं होते। माता–पिता से एक लड़की को जो दहेज मिलता है उस पर उसका पूर्ण अधिकार होता है।

मुस्लिम महिलाओं को अनेक वैवाहिक अधिकार प्राप्त हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार विवाह के लिये महिला की स्वीकृति आवश्यक है। एक मुसलमान पुरूष एक समय में चार स्त्रियाँ रख सकता है। इस प्रकार सीमित बहुविवाह मुसलमानों में प्रचलित है। इससे महिलाओं तथा पुरुषों में एक असमानता है, क्योंकि स्त्री एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं कर सकती । इस स्थिति के कारण कई महिलाओं की स्थिति हीन हो जाती है।[1]

भारत में अन्य समुदायों के समान ही मुसिलम महिलाओं को भी समस्त अधिकार प्राप्त हैं। वह चुनाव लड़ सकती हैं, मतदान कर सकती हैं तथा राजनैतिक स्थानों पर नियुक्ति प्राप्त कर सकती है।

मुस्लिम महिलाओं को समस्त धार्मिक अधिकार भी प्राप्त हैं वे कुरान पढ़ सकती है तथा नमाज पढ़ सकती है। धर्म की दृष्टि से उनमें कोई निर्योग्यता नहीं फिर भी पति की आज्ञा आवश्यक है।

मुस्लिम महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी निर्योग्यता है, वह है पर्दाप्रथा की। यह निर्योग्यता इतनी बड़ी है कि मुस्लिम महिलाओं के समस्त अधिकार इसके कारण प्रभावहीन रहते हैं। वे बुर्का पहनती हैं तथा सारा शरीर ढक लेती है। लोग उन्हें गतिशील गुम्बज कह कर पुकारते हैं। वास्तव में पर्दा प्रथा मुसलमानों में एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में बहिष्कार कर दिया गया हैं उन्हें जनानखाने की चिड़िया समझा जाता है तथा एक कारावास के समान उन्हें कैद कर दिया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि कुछ महिलाऐं बिना पर्दे के बाहर निकलने लगी हैं। फिर भी 80 प्रतिशत से अधिक महिलाऐं बुर्के में ही बंद रहती हैं वैसे कहने के लिये इनको समस्त सार्वजनिक अधिकार प्राप्त हैं।[2]

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)

इस्लाम धर्म में राजनीति और सामाजिक संरचना एक ही सिद्धान्त में संगठित है। कारण यह है कि इस्लाम की सामाजिक संरचना हो, आर्थिक संरचना हो या धार्मिक या राजनैतिक सभी का आधार कुरान एवं पैगम्बर हजरत मोहम्मद के वचन या उनके द्वारा किए गए कार्य ही रहे हैं। हजरत मौहम्मद ने कुरानी आदेशों को अपनाकर और उनकी व्याख्या स्वयं कर जिस समाज का ताना बाना बुना उसी को इस्लामी समाज या मुस्लिम समाज कहते हैं। हजरत मौहम्मद ने कुरान पर आधारित जिन उद्देश्यों को समाज के सम्मुख रखा, वह कुरानी उपदेश ईश्वरीय उपदेश माने जाते हैं और जो शब्द उन्होंने खुद कहे उन शब्दों को और जो कुछ उन्होंने खुद किया उनको सुन्नत कहा जाता है।

मुस्लिम स्त्रियां भारत में किसी भी पद के लिये चुनाव लड़ सकती हैं मतदान में भाग ले सकती हैं राजनैतिक पदों पर नियुक्तियां प्राप्त कर गौरवान्वित हो सकती है। बिहार प्रांत में नेमी खातून मंत्री पद पर रह चुकी हैं। मोहसिना किदवई, डॉ. नजमा हेपतुल्लाह, बेगम आबिद अहमद, राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद की पत्नी) आदि महत्वपूर्ण राजनैतिक पदों पर रह चुकी हैं। राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति में शक्ति, प्रभाव सत्ता प्रतिनिधित्व के गुण स्वतंत्र क्षमता व्यवहार कुशलता आदि की अभिव्यक्ति को प्रकट करने की क्षमता पैदा होती है एवं उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है।[3]

आज के इस परिवर्तित दौर में मुस्लिम कामकाजी व घरेलू स्त्रियों की स्थिति में कोई विशेष क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। वर्तमान में राजनैतिक चेतना का विकास तो हुआ है और राजनैतिक जागरूकता भी बढ़ती जा रही है राजनैतिक क्षेत्रों में उनकी अभिरूचि भी तेजी से बढ़ रही है।[4]

मुस्लिम समुदाय भारत में अपने मजहब के अनुसार अपना जीवनयापन कर रहा है कोई भी मुस्लिम अपने धर्म के अनुसार एक से अधिक स्त्रियों से निकाह कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय मुस्लिम समाज में भी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन पाया जाता है, किन्तु भारत में बहु पत्नी विवाह का प्रचलन बहुत ही कम देखा गया है। इसका मूल कारण भारतीय मुसलमान हिन्दू धर्म एवं संस्कृति के प्रभाव से इतने प्रभावित हुए है कि जिससे वे एक पत्नी को ही प्राथमिकता देते हैं। जहाँ तक हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय में महिलाओं एवं पुरुषों के विवाह का प्रश्न है तो दोनों ही वैवाहिक प्रक्रिया में विषमता पायी जाती है। वैवाहिक दृष्टि से मुस्लिम समाज में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति बदतर है, क्योंकि मुस्लिम पुरुष चाहे तो एक साथ चार बीबीयाँ रख सकता है, जबकि मुस्लिम महिला मात्र एक ही पति ही रख सकती है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम महिलाओं का घर–गृहस्थी पर नियंत्रण तो रहता है किन्तु वह नियंत्रण पुरुषों की देख–रेख में होता है।

उदाहरणतः मुस्लिम महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त है पति की सम्पत्ति में भी उसकी हिस्सेदारी निश्चित है, मेहर पर उसका एकाधिकार रहता है, इतना ही नहीं पुत्रों की सम्पत्ति में उसका हक बनता है। पति से खर्चा–ए–पानदान भी निश्चित है। इस दृष्टि से मुस्लिम महिला की आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ दिखाई देती है। किन्तु व्यवहार में उसे पैतृक सम्पत्ति एवं पति की सम्पत्ति में से भी हिस्सा नहीं मिल पाता है।[5]

पुराने समय से वर्तमान काल के मध्य मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के विश्लेषण के साथ–साथ वर्तमान समय का अध्ययन भी आवश्यक है। क्योंकि यह कहा जाता है कि दुनियां में परिवर्तन के चलते भारत में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अधिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण एवं बदलते प्रतिमानों के बाद भी मुस्लिम समाज में अधिक अंतर नहीं आया है एवं मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। अधिकांश मुस्लिम परिवारों में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है और आज भी उन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। जीविकोपार्जन के कार्यों में भागीदारी सहित उन्हें धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भी भागीदार नहीं बनाया जाता है। परिवार में उनके विचारों को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाता। जब तक हम व्यवहारिक तौर पर मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो विदित होता है कि आज भी अधिकांश मुस्लिम परिवारों में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है।[6]

1500 साल पहले इस्लाम ने ही जमीन में गड़ी हुई औरत को सामाजिक स्तर प्रदान किया था। सामाजिक स्तर में उसे हक दिया गया कि वह जिससे चाहे शादी करे। शादी को एक पवित्र अनुबंध बनाया। इस अनुबंध के अंदर जो चाहे शर्ते डाल सकते हैं। सिर्फ मुसलमानों में निकाहनामा बनता है, वह भी कानून के लिहाज से बनता है, कितनी मेहर शादी की एवज में देना चाहता है, जो चाहे लिखा लो, तो क्यों नहीं लोग लिखाते मेरा कहना है कि जो दर्जा इस्लाम ने औरत को दिया है, वह दर्जा किसी ओर ने अभी तक नहीं दिया।[7]

विवाह, मेहर, उत्तराधिकार, धर्म आदि की सुविधायें और स्वतंत्रता मुस्लिम महिलाओं को प्राप्त हैं फिर भी व्यवहारिक रूप से इसकी स्थिति निम्न ही समझी जाती है। इसका कारण मुस्लिम महिला समाज में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनका निराकरण अधिनियमों एवं सुविधाओं से भी नहीं हुआ है। इससे मुस्लिम महिलाओं के विकास के मार्ग बंद है।[8]

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)

पर्दे की प्रथा मुस्लिम महिलाओं की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। मुस्लिम महिला घर की चार दीवारी में कैद रहती है। इन्हें बाजार में घूमने नहीं दिया जाता है धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के अतिरिक्त इन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों का भी मुसलमान महिलाएँ कम प्रयोग करती हैं। इस समस्या के कारण भी मुस्लिम महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और इस कारण उनकी स्थिति निम्न है। मुस्लिम स्त्रियाँ चूंकि रूढ़िवादी होती है इनमें प्रगतिशीलता का अभाव होता है। अतः ये किसी नवीन विचार को सुनने, समझने तथा उनका प्रायोगिक उपयोग नहीं करती है'' धर्म ने इनमें विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास पैदा कर रखे हैं। धर्म भी इनकी रूढ़िवादिता का एक कारण है। इस प्रगतिशीलता के अभाव के कारण मुस्लिम महिलाऐं प्रगतिशील नहीं रही, उनकी स्थिति निम्न रही है।

जहाँ तक अधिकारों का प्रश्न है तो मुस्लिम महिला को हर क्षेत्र में पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी मुस्लिम महिला किसी पुरूष से कम या पीछे नहीं है। वह अपनी सम्पत्ति का प्रयोग करने में पूर्ण अधिकार रखती हैं। सामाजिक प्रतिबंध, अशिक्षा, पर्दाप्रथा संयुक्त परिवार प्रथा आदि के कारण मुस्लिम महिला की स्थिति कुछ हद तक आज भी असंतोषजनक बनी हुई है।[9]

अधिकांश समाजों में महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। वेदकालीन सामाजिक व्यवस्था को छोड़कर महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की रही है। भारत में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका समय काल एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। उनके साथ होने वाले भेदभाव, शोषण एवं हिंसात्मक व्यवहार की जड़ें हमारे यहाँ की सामाजिक पृष्ठभूमि में प्राचीनकाल से ही देखने को मिलती है। यहाँ की पितृसत्तात्मक सामाजिक वैचारिकी, पुरूष प्रधान, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक एवं वैवाहिकी संस्थात्मक विशेषताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा एवं दहेज हत्या आदि की घटनाओं ने प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को निरन्तर उत्पीड़न का शिकार बनाया है। इसके लिये हमें किसी ग्रामीण इलाके में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे आस–पास ही हो रहा है। ये वे लोग हैं जो उच्च शिक्षित है एवं सभ्य समाज में निवासरत है। शर्म आती है ऐसे शिक्षित समाज पर जो आज भी परम्पराओं, रीतिरिवाजों व रूढ़िवादिता की आड़ में महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है एवं उनका शोषण कर रहा है।[10]

निष्कर्ष– भारत में महिलाओं की स्थिति उत्थान, पतन एवं पुनः उत्थान की कहानी है। महिला आन्दोलनों, सुधारकों तथा सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में अनेक परिवर्तन एवं सुधार हुए हैं पर अभी यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है क्योंकि अब भी सिद्धांत और वास्तविकता में पर्याप्त अंतर है, आज भी अधिकांश महिलाऐं सामाजिक प्रतिबंधों में जकड़ी हुई हैं क्योंकि स्वयं महिलाओं के बहुमत ने अभी अपने अधिकारों को नहीं समझा है। उदाः–संसद भवन के बाहर हिन्दू कोड बिल के विरूद्ध प्रदर्शनकारियों में स्त्रियाँ भी सम्मिलित थीं। अतः महिलाओं को अपने अधिकारों को समझना चाहिए और वास्तव में प्राप्त करना चाहिए और साथ ही सामाजिक परिस्थितियों का बदलना आवश्यक है तभी भारत का वास्तविक कल्याण स्त्री जाति के उत्थान में होगा ।

संदर्भ–

1. यामीन डॉ. मोहम्मद, ए सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इण्डिया (1605–1748) लखनऊ (1985). पृ. 40
2. वही, पृ. 19
3. द्वारिकाप्रसाद गोयल, भारतीय समाज कैलाश पुस्तक सदन, 1976–77, पृ. 61
4. द्वारिकाप्रसाद गोयल, भारतीय समाज कैलाश पुस्तक सदन, 1976–77, पृ. 69
5. डॉ. नजमा हेपतुल्ला अब कितनी सुरक्षा दे इस्लाम ? साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 24 नवम्बर 1985, पृ. 9
6. वही, पृ. 10
7. द्वारिकाप्रसाद गोयल, भारतीय समाज कैलाश पुस्तक सदन, 1976–77, पृ. 71
8. वहीं, पृ. 71
9. यामीन डॉ. मोहम्मद, ए सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इण्डिया (1605–1748) लखनऊ (1985). पृ. 53
10. द्वारिकाप्रसाद गोयल, भारतीय समाज कैलाश पुस्तक सदन, 1976–77, पृ. 82

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)